समाहरणालय, पटना

(जिला योजना शाखा)

आदेश

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत माननीय सांसद (लोक सभा) श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह द्वारा अनुशंसित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु जिला योजना पदाधिकारी लखीसराय के पत्रांक–506, दिनांक–03.09.14 के मॉग के आलोक में प्राप्त आवंटन से मो०–11625350 अग्रिम भुगतान् करने की स्वीकृति दी जाती है। नाजिर जिला योजना कार्यालय को निदेश दिया जाता है कि मो० 11625350/– (एक करोड सोलह लाख पच्चीस हजार तीन सौ पचास रूपये मात्र) चेक के माध्यम से जिला योजना पदाधिकारी लखीसराय को हस्तगत करना सुनिश्चित किया जाय।

अनुरोध है कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास के दिशा–निर्देश के आलोक में योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जाय। यदि अनुशंसित योजनाएं सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा–निर्देश की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रतिबंधित कार्यो की सूची में हो तो योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं कराया जाय एवं उसकी राशि को बैंक ड्राफ के द्वारा वापस करने की कृपा की जाय। कार्यान्वित योजना का विहित प्रपत्र में प्रत्येक माह मासिक प्रगति प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र इस जिला को उपलब्ध कराया जाय।

ह०/–

जिला योजना पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक 25–02/2013–1496–**.यो0 , पटना, दिनांक** 17/11/2014

प्रतिलिपि :– माननीय पूर्व सांसद (लोक सभा) श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, पटना एवं जिला पदाधिकारी, लखीसराय को सादर सूचनार्थ प्रेषितं।

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– नाजिर जिला योजना कार्यालय, पटना को आदेश दिया जाता है कि माननीय सांसद (मुंगेर लोक सभा) श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की सांसद निधि में उपलब्ध राशि में से मो०–**11625350/– (एक करोड सोलह लाख पच्चीस हजार तीन सौ पचास रूपये मात्र)** का चेक जिला योजना पदाधिकारी, लखीसराय के पदनाम से शीघ्र तैयार कर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पटना को निदेशानुसार सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस पत्र को जिला के Web Side पर डालने की कृपा की जाय।

17/11/14

जिला योजना पदाधिकारी,
पटना।